न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 103/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. महेन्द्र पालीवाल पुत्र ईश्वर पालीवाल, 2. सुभाष पालीवाल पुत्र ईश्वर पालीवाल 3. सुरेश पालीवाल पुत्र ईश्वर पालीवाल निवासी–ग्राम कुडी तहसील कल्याणपुरा जिला बालोतरा।		1. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा। 2. तहसीलदार, कल्याणपुर। 3. श्रीमती चंदूदेवी पत्नी मिश्रीमल 4. नेमाराम पुत्र मिश्रीमल 5. मेघाराम पुत्र मिश्रीमल 6. मांगीलाल पुत्र मिश्रीमल पालीवाल निवासी–ग्राम कुडी तहसील कल्याणपुरा जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2022 अनवान जो उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 259/2022 अनवान चन्दुदेवी वगैराह बनाम चुन्नीलाल वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद पंवार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से।
3. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3,5,6 की ओर से
4. शेष रेस्पोडेन्टस अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29 जनवरी, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 6 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कुडी तहसील कल्याणपुर के खेत खसरान संख्या 597/248 रकबा 0.0405 हैक्टर भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है जिसके पडौसी में अपीलान्टस एवं अन्य पडौसी खातेदारान के खेत स्थित है, जिनके द्वारा उनकी भूमि को अवैध व अनुचित तरीके से सीमा सेढो का विवाद कर जबरन हडप करना चाहते है। रेस्पोडेन्टस ने अन्य पक्षकारान की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सहमति से नेखम पैमाइश करवाने हेतु प्रयास किया और दिनांक 8.6.2022 व 20.6.2022 को सीमाज्ञान भी करवाया गया परन्तु पडौसी खातेदार के द्वारा विवाद किया जाता रहा। इस विवाद को निपटाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नेखमबन्दी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अन्य अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त हम रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2022 के द्वारा स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्टस की भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 29.07.2022 को न्यायालय के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत कथन किया कि उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेज की नकले दिनांक 3.8.2023 को प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय में पेश की गई है जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जावे। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की अपील को मियाद बाहर पेश होने के आधार पर अपील को इसी स्तर पर अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश होने पर नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलार्थी को दिनांक 18.8.2022 को जवाब हेतु समय प्रदान किया गया, तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 1.9.2022 को रखी गई, उक्त दिनांक को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.9.2022 एवं दिनांक 30.9.2022 सुनवाई हेतु नियत की गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.9.2022 को ही रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नेखमबन्दी करने के आदेश पारित कर दिये। इस प्रकार अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जोकि विधि द्वारा स्थापित एवं सिविल प्रकिया के आदेश 08 नियत 1 के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। सिविल प्रकिया आदेश 08 नियम 1 के अन्तर्गत जवाब हेतु कम से कम 60 दिवस का समय होता है, साथ ही उसे अन्य 60 दिनों तक बढाया जा सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवाद में 30 दिन के अन्तराल में ही अपीलान्ट को जवाब देने हेतु अधिकार बंद कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि विधि के विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार कल्याणपुर को स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया था कि उक्त नेखमबन्दी करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर विवादित भूमि की नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया था, परन्तु तहसीलदार कल्याणपुर ने ऐसी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और न उनकी मौजूदगी में नेखमबन्दी की जाकर पालना रिपोर्ट बनाई गई है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश की पालना में कार्यवाही सही नहीं होने से खारिज करने योग्य है। अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.2023 एवं तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा पेश नेखमबन्दी पालना रिपोर्ट को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे एवं अपीलान्ट द्वारा जवाब देने हेतु अधिकार रिस्टोर कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार दिया जावें।

प्रत्युत्तर में रेस्पोडेन्टस संख्या 3,5,6 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 597/248 रकबा 0.0405 हैक्टर ग्राम कुडी तहसील कल्याणपुर में स्थित है जिसके पडौस में अपीलान्टस एवं अन्य पडौसी खातेदारान के खेत स्थित है, जिनके द्वारा उनकी भूमि की सीमा सेढो सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर जबरन अतिक्रमण करना चाहते है। रेस्पोडेन्टस ने अन्य पक्षकारों की सहमति से नेखम पैमाइश करवाने हेतु भी प्रयास किया और तहसीलदार महोदय की ओर से दिनांक 8.6.2022 व 20.6.2022 को सीमाज्ञान भी करवाया गया परन्तु पडौसी खातेदार के द्वारा सीमा बाबत विवाद किया जाता रहा। इस विवाद को निपटाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नेखमबन्दी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अन्य अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जिस पर वर्तमान अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया उसके उपरान्त भी उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब पेश नहीं किया और दिनांक 30.09.2022 को उनके उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए हम रेस्पोडेन्टस की ओर से नेखमबन्दी बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उनकी भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया है जो कि विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील मियाद बाहर, सारहीन आधारहीन होने से खारिज की जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जिन सिविल प्रकिया आदेश 08 नियम 01 का हवाला अपनी अपील में दिया गया है, उसकी कियान्विती राजस्व वाद/दावा की विचाराधीन कार्यवाही के दौरान ही की जा सकती है न कि अपीलाधीन नेखमबन्दी हेतु अधीनस्थ न्यायालय से अनुमति चाहने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचारण के दौरान करनी होती थी। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने अपनी अपील में अपीलाधीन आदेश के विधि विरूद्ध पारित होने अथवा नियमों के विरूद्ध पारित होने सम्बन्धी कोई कथन उल्लेखित नहीं किये है, मात्र जवाब पेश किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किये जाने का कथन किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार समुचित अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2023 के द्वारा नेखमबन्दी करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का बगौर अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलान्ट ने प्रसतुत इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्यतः यह आपत्ति दर्शाई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया और विधि द्वारा स्थापित सिविल एवं रेवेन्यू प्रकियाओं का हनन किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट प्रकट होता, है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किये गये है तथा आदेशिकाओं में अपीलान्ट संख्या एक व दो के स्वयं के हस्ताक्षर किये हुए है तथा जवाब हेतु समय चाहने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पर्याप्त अवसर भी प्रदान किये गये है, अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट के द्वारा कोई प्रत्युतर/जवाब पेश नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलान्ट के यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया हो। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में ख0 सं0 597/248 की नेखमबन्दी करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में कार्यवाही किया जाना अंकित किया गया है,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जो विधि के अनुकूल एवं उचित पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29 जनवरी. 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सभागीय आयुक्त
जोधपुर

सभागीय आयुक्त
जोधपुर